रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940
No. 149] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 169(अ).— कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारुप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1164 (अ), तारीख 4 दिसंबर, 2018 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 7 दिसंबर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियमावली, 2019 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में नियम 59 में, शब्द ''दस हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एस -65012/01/2018- एसएस- I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना सं. एस आर ओ 212 दिनांक 22 जून 1950 द्वारा भारत का राजपत्र, भाग–II, खंड–3, उप–खंड (i) में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना सं. जी.एस. आर. 1021 (अ) दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 169(E).— Whereas, a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1164 (E), dated the 4th December, 2018 as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 7th December, 2018;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in Rule 59, for the words "ten thousand rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. S-65012/01/2018-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide notification number SRO 212, dated 22nd June, 1950 and last amended vide notification number G.S.R 1021(E), dated 11th October, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.05 21:12:04 +05'30'